



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017—ज्येष्ठ 9, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पी.ए.एच.यू.एन.टी. 2017

मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट)

स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2017

भोपाल, दिनांक 30 मई 2017

क्रमांक /एफ1-15/2017/1/59: म.प्र. चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम-1973 की धारा-10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. शीर्षक— ये नियम “मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परीक्षा (म0प्र0 पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2017” कहलायेंगे। ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,
- 2.1 "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल; (एमपीपीईबी/व्यापम)
- 2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के अधीन शासकीय (स्वशासी) / निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय।
- 2.3 "परीक्षा" से अभिप्रेत है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (एमपीपीईबी/व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;
- 2.4 "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
- 2.5 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग(अपिव), तथा अनारक्षित(अना.) प्रवर्ग;
- 2.6 "संवर्ग" से अभिप्रेत है, सैनिक संवर्ग (एस) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), महिला(एफ) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है। दिव्यांग (पी.एच.) से अभिप्रेत है जैसा कि भारत शासन, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है;
- 2.7 "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2017
- 2.8 सी.सी.आई.एम. से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
- 2.9 सी.सी.एच. से अभिप्रेत है केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्।
- 2.10 अभ्यर्थी से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।
- 2.11 छात्र से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरांत छात्र/ छात्राएं।

3

सामान्य-

(एक) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीएनवायएस (बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साईन्स), सीसीआईएम (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद)/सीसीएच (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद)/म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन/ भारत सरकार तथा प्रवेश परीक्षा व आवंटन प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन शासित एवं विनियमित होंगे।

(दो) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। (सूची संलग्न तालिका-1)

- 1— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 2— शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल, में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 3— शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल, में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 4— मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 5— मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 6— मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के यूनानी महाविद्यालयों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 7— मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम।

3.1

- (1) आवेदन पत्र में प्रविष्टि करने के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियम पुस्तिका को भली भांति पढ़कर एवं समझकर संपूर्ण सही एवं वांछित जानकारी की प्रविष्टि करें तथा वांछित अभिलेख संलग्न करें, अन्यथा आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
- (2) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये गये हैं अभ्यर्थी वही फोटो अभिलेख सत्यापन स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों।

- (3) फोटो का आकार 4.5 सेन्टीमीटर (चौड़ाई) एवं लम्बाई 4.5 सेन्टीमीटर होना आवश्यक है। अभ्यर्थी इस फोटो की पर्याप्त प्रतियाँ (लगभग 30) अपने पास समय-समय पर होने वाली आवश्यकता के लिये रखे। फोटोग्राफ के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा:-
- (क) अभिलेख सत्यापन हेतु फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल काले बॉल पाइंट पैन से अपना नाम आवेदन-पत्र संख्या और मैरिट नम्बर अवश्य लिखेंगे, फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफैद बैक ग्राउंड सहित प्रमाणित नवीनतम अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियो फोटोग्राफ जो म0प्र0 पाहुन्ट, स्नातक प्रवेश परीक्षा 2017 एवं प्रवेश काउंसिलिंग के दौरान प्रयोग में लाया जाना हो, को ही चिपकाया जाए। फोटोग्राफ आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व के पहले का न लिया गया हो जिसमें नीचे उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो, फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ हो,
- (ख) नजर के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है, पोलोराइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं, फोटोग्राफ को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद/एढीसिव से भली भांति चिपकाया जाए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाए/स्टेपल नहीं किया जाए इन अनुदेशों का पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जायेगा, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात् वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया है या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो उम्मीदवार का सीट आवंटन/प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी,
- (ग) फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- (घ) अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा, अभिलेख सत्यापन तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
- (ङ.) अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवेदन करते समय आधार नम्बर भी दर्ज कराना होगा।
- 3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई गई है अथवा गलत जानकारी दी गई है तो दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान कभी भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

- 3.3 यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
- 3.4 छात्र को दुराचरण, आपराधिक कृत्य में संलिप्तता, अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।
- 3.5 मण्डल द्वारा निर्धारित केन्द्र पर परीक्षा होगी। एक बार आवृट्टि होने पर केन्द्र नहीं बदला जावेगा। उम्मीदवार, मण्डल के नियम एवं विनियम के पालन के लिये बाध्यकारी होगा, पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
- 4.0 सीटों की उपलब्धता –
महाविद्यालयवार बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एवं बीएनवायएस पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें तालिका – 1 में दर्शाई गई हैं। शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप पाहुन्ट-2017 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जावेगी।
- 5.0 आरक्षण—
सभी महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षित हैं एवं शेष सीटें अनारक्षित हैं। (तालिका 2 व 3)
- 5.1 दिव्यांग :—
ऐसे दिव्यांग जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी /स्थानीय निवासी तथा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्गों के हैं, उनके लिये छह प्रतिशत सीटें बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई है। यह आरक्षण (क्षेत्रिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि हाथ/हाथों से दिव्यांग या दृष्टि से दिव्यांग या बहरापन या 70 प्रतिशत से अधिक पैरों से दिव्यांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। पैरों के सम्बन्ध में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगों में पूर्ण रूप से श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित दिव्यांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर 50 प्रतिशत तक श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित दिव्यांगों को प्रवेश दिया जा सकेगा तथा किसी भी हाथ की दिव्यांगता मान्य नहीं होगी। आरक्षण का यह उक्तानुसार लाभ निर्धारित संस्था से विहित प्रारूप में जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को अधीक्षक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, विकलांग व्यावसायिक

पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 5.2 सैनिक संवर्ग (मिलिट्री पर्सन) :—(प्रारूप-2 भाग-अ तथा ब)
- बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सैनिक संवर्ग(एस) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण हॉरिजोन्टल (क्षैतिजिक) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।
- 5.2.1 सैनिक संवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों(एस) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी समिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।
- 5.2.2 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मध्यप्रदेश में बस गए भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री हैं।
- 5.2.3 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।
- 5.2.4 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी—सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी:— (प्रारूप-3)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातिनों के लिये

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीन प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। आरक्षण (क्षेत्रिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।

5.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।

5.4 महिला आरक्षण:-

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं। यह आरक्षण (क्षेत्रिक) हॉरिजोन्टल व Compartmentalized होगा।

5.5 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण—पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। (प्रारूप—4 भाग अ तथा ब)

5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग) के अंतर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग में बिना संवर्ग (एक्स) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

5.7 प्रदेश में निजी क्षेत्र के संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान चिकित्सा महिला महाविद्यालय, भोपाल में समस्त सीटें म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 1-4/2016/1/59 दिनांक 09/03/16 के क्रम में महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षित होंगी।

5.8 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन –

यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी–

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
- (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
- (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
- (घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जावेगी।
- नोट – यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी।
- 5.9 यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), दिव्यांग (पी.एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हों तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों को उपलब्ध कराते हुए भरी जावेगी जैसा नियम 5.8 में है।

6.0 अर्हताये—

- (अ) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है किन्तु निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- (ब) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक है:-
- 1– आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो।
 - 2– आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो।
 - 3– आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
 - 4– आवेदक का पिता राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो।
 - 5– आवेदक का पिता मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
 - 6– आवेदक का पिता केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।

7- आवेदक का पिता अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।

8- आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण-1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र को सी-3-7-2013-3-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार म.प्र. के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए ज्ञाप दण्ड की पूर्ति करना आवश्यक होगी।

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो। प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिए। (प्रारूप-7)

स्पष्टीकरण-2:- किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला कलेक्टर की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3:- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3/17/1/3/2011, दिनांक 20.12.2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 20.12.2011 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परंतु दिनांक 20.12.2011 के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जावेगा।

स्पष्टीकरण-4:- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3-7-2013-3- एक दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार स्थानीय निवास हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप 6.1) के अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्टाम्प रहित कागज पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.1 बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु उन अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिहोंने उपरोक्त के साथ में अनिवार्य रूप से उर्दू विषय लेकर म0प्र0 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा या दसवीं बोर्ड से उत्तीर्ण की हो अथवा उर्दू की ऐसी समकक्ष परीक्षा जो म0प्र0शासन/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उक्त परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की गई हो, उत्तीर्ण की हो। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अथवा

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित/मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो तथा प्रत्येक विषय पृथक पृथक उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये समानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जायेगा। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6.1.1 प्रवेश परीक्षा के वर्ष म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा मान्य वैध समकक्ष योग्यता।

6.2.1 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो। अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो अपनी निवास संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जिहोंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्सम्बन्धी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा।

6.2.2 ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनकी आयु प्रवेश परीक्षा वर्ष 2017 की 31 दिसंबर को 25 वर्ष से अधिक हो चुकी होगी, उन्हें प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। लेकिन आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के समस्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी का जन्म निम्नानुसार तिथियों के मध्य होना चाहिये :-

क. 01.01.1988 से 01.01.2001 (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग)

ख. 01.01.1993 से 01.01.2001 (अनारक्षित वर्ग)

7.0 फीस संरचना—

शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक अभ्यर्थी को तालिका- 4 व निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/मोप्रो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क रिपोर्टिंग के समय महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

टीप –

विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों द्वारा शासन की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ शासन के संबंधित नियमों के तहत पात्रतानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।

7.1 प्रतिभूति निक्षेप—

7.1.1 शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय में काउंसिलिंग से प्रवेश मिलने पर रिपोर्टिंग के समय अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) प्रतिभूति निक्षेप नकद/बैंक ड्राफ्ट से, जो संबंधित शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।

7.1.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिसके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख से अधिक नहीं है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करना होगा। परंतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रुपये 3.00 लाख से अधिक है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 4000/- नकद/ बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

- 7.1.3 अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल रूपये 4000/- प्रतिभूति निक्षेप उपरोक्तानुसार जमा करना होगा।
- 7.1.4 आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय चालू वित्तीय वर्ष हेतु वैध आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी./3-11/1/3/2010 दिनांक 07 सितंबर, 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आय प्रमाण—पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। (आय प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमांक – 09“अ” एवं 09“ब” पर है। इसी प्रारूप में जारी प्रमाण—पत्र मान्य होगा।)
- 7.1.5 आय प्रमाण पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3 -7-2013-3- एक दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्टाम्प रहित कागज पर (निर्धारित प्रारूप 9 सी के अनुसार) जो कि अभ्यर्थी के पिता /वैध अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। भविष्य में स्व—प्रमाणीकरण घोषणा पत्र गलत पाये जाने पर प्रवेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 7.1.6 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्ष 2016 –17 का आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अपने संवर्ग में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र/शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाणपत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच कराई जावेगी। यदि जांच में कोई असत्यता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7.2 प्रतिभूति निक्षेप वापिसी:-

प्रतिभूति निक्षेप को इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना व्याज वापिस कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है अथवा पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है अथवा इंटर्नशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप सम्पहत कर लिया जाएगा।

7.3 फीस वापिसी:-

काउंसिलिंग द्वारा प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के 10 दिवस पूर्व तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटायी जावेगी। उक्त समय—सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। केवल कॉशनमनी वापसी योग्य होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

7.4 फीस हस्तांतरण:-

पाहुंट के माध्यम से स्वशासी/निजी संस्थाओं में रिएलोकेशन द्वारा सीट परिवर्तित करने वाले छात्रों की फीस एक संस्था से दूसरी संस्था में हस्तांतरित की जावेगी।

7.5 सीट लीविंग बॉन्ड - यदि कोई छात्र/छात्रा अंतिम चरण की PAHUNT काउंसलिंग 2017 में बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है, तो उस स्थिति में छात्र/छात्रा को रु. 02.00 लाख (कुल दो लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे।

7.6 समस्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण/इन्टर्नशिप के दौरान स्थानांतरण के प्रकरण के लिए सी०सी०आई०एम०/सी०सी०एच० के प्रावधानों के अनुसार रिक्त सीट के विलङ्घ स्थानांतरण देने के लिये प्रधानाचार्य अधिकृत होंगे। प्रधानाचार्य उक्त प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही कर संचालनालय आयुष को अवगत करायेंगे।

8.0 परीक्षा:-

प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरते समय किसी एक माध्यम हेतु सहमत होना होगा और उसी माध्यम में परीक्षा देनी होगी।

8.1 तीन घंटे की अवधि का एक प्रश्न पत्र (बहुविकल्प) होगा, बहुविकल्प प्रश्न पत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के दो सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र निम्नानुसार दो भागों में विभाजित होगा-

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों (वस्तुनिष्ठ) की संख्या	अंक
ए	भौतिक शास्त्र+रसायन शास्त्र	(50+50)=100	(50+50)=100
बी	प्राणिशास्त्र+वनस्पति शास्त्र	(50+50)=100	(50+50)= 100
कुल-		200	200

8.2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिये प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायगा। गलत उत्तर, अनुत्तरित प्रश्न अथवा एकाधिक उत्तर के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

8.3 परीक्षाफल की घोषणा—

मण्डल द्वारा परीक्षा का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी तथा परीक्षाफल घोषित किया जावेगा।

8.4 प्रावीण्य सूची —

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर घोषित की जायेगी ।

8.4.1 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी पाहुन्ट में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर संयुक्त प्रावीण्यता सूची जारी की जायेगी ।

टीप— शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों के लिये प्रवर्गवार प्रावीण्यता सूची नियम-6 के अनुसार तैयार की जायेगी ।

8.5 पारस्परिक योग्यता —

ऐसी परिस्थिति में जब दो या अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं, तब ऐसे अभ्यर्थी को निम्न अधिमान में रखकर पारस्परिक वरीयता तय की जायेगी—

1. प्रश्न पत्र के भाग-बी (प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र) में प्राप्त अंकों के आधार पर ।
2. आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी ।

9.0 काउंसिलिंग – सीट आवंटन

9.1 योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी पृथक से जारी की जावेगी ।

9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरुस्त कराले अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

9.3 पूर्व वर्षों में आयुष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि इस वर्ष की पाहुन्ट परीक्षा के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्रारूप-1 एवं 1(अ) के साथ मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित संबंधित अध्ययनरत संस्था के प्रधानाचार्य का यह प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा हैं। आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा ।

9.4 रजिस्ट्रेशन:-

रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दिया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा। जिसकी रसीद दी जावेगी। (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा।) आवेदक को अपनी जानकारी सही-सही दर्ज करानी होगी। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को RJI0 नं० एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को चाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।

9.5 अभिलेख सत्यापन:-

आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप-1 पर) कराना होगा—

- 1— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
- 2— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर
- 3— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
- 4— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
- 5— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
- 6— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन
- 7— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर
- 8— शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल
- 9— शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल

9.5.1 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय व्यापम में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है।

9.5.2 अभिलेख सत्यापन :-

अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा। सत्यापन निःशुल्क होगा।

9.6 संस्था का चयन:-

आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा)। इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिस में आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/- रुपये शुल्क देना होगा।

9.7 आवंटन:-

आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर M.P. Online पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर पाहुंड का रोल नं. 0, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है।

9.8 एम० पी० आनलाईन सीट आवंटन के पूर्व निम्न काउंसिलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त इन नियमों के अंतर्गत सीट अलॉटमेंट जारी करेगी:-

- 1/ प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल
- 2/ प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल
- 3/ प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल
- 4/ शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय में से 01-01 वरिष्ठ प्रोफेसर।
- 5/ संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर का न हो।
- 6/ संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष के प्रभारी अधिकारी।
- 7/ एम० पी० आनलाईन के अधिकृत अधिकारी/सचिव

9.8.1 एम० पी० आनलाईन प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग के पश्चात संवर्ग/प्रवर्गवार कट-ऑफ मार्क्स जारी करेगी।

9.8.2 प्रवेश के इच्छुक आम्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलिफोन नं० पर या वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं—

0755 – 4019400, 0755 – 2552931, 2970355, 2970310, 2970360 (कार्यालयीन समय 10.30 a.m to 05.30 p.m) www.ayush.mp.gov.in, www.mponline.gov.in

9.9 रिपोर्टिंग:-

आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना पाहुंट रोल न0 एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।

10.0 प्रवेश-

अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

10.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी।

10.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे।

10.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन / प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

10.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे।

11.0 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :-

- 1— प्रथम काउंसिलिंग की तिथि – परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोषित की जायेगी
- 2— सत्रारंभ तिथि — बाद में घोषित की जायेगी
- 3— अनुवर्ती काउंसिलिंग (यदि आवश्यक हो) — बाद में घोषित की जायेगी
- 4— प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि — भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली / सी0सी0आई0एम0 / सी0सी0एच0 द्वारा जारी निर्देश अनुसार।

टिप्पणी :-

- 1— नियम 11 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार आनलाईन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। साथ ही संचालनालय आयुष, म.प्र. की बेबसाईट www.mp.ayush.gov.in पर भी सूचित किया जायेगा।

- 2— यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं /अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।
- 12.0 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को काउंसिलिंग के मध्य में मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें भी काउंसिलिंग के माध्यम से ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 13.0 किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया केन्द्रीयकृत ऑफ लाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से निर्धारित समयावधि एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण की जावेगी। इसमें सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा समस्त मूल अभिलेख निर्धारित काउन्सिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना यथा समय समाचार पत्रों एवं विभागीय साइट पर प्रकाशित/प्रदर्शित की जावेगी।
- 14.0 उक्त शासकीय प्रवेश काउन्सिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे।
- 15.0 सक्षम प्राधिकारी :—
किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/संचालक आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
- 16.0 नियमों में संशोधन का अधिकार :—
राज्य सरकार प्रवेश के किसी नियम एवं प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार रक्षित करती है। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।
- 17.0 प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा। उसकी सूचना संचालनालय आयुष की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी किन्तु इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालनालय आयुष की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in के सतत सम्पर्क में रहें एवं उसे देखते रहें।
- 18.0 किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव.

**PRE AYURVED, HOMOEOPATHY, UNANI, NATUROPATHY & YOGA TEST
(M.P. PAHUNT)**

UNDERGRADUATE ENTRANCE EXAMINATION RULES, 2017

BHOPAL, DATE 30/05/2017

NO./F 1-15/2017/1/59 :- In exercise of powers conferred by section 10 of Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha Nyantran Adhiniyam, 1973, the State Government hereby makes the following rules to carry out the purpose of the Adhiniyam i.e. the Entrance to Undergraduate Course in Government (Autonomous) /private Ayurveda, Homoeopathy, Unani Colleges and Private, Naturopathy & Yoga Colleges in the State of Madhya Pradesh:-

1.0 TITLE:- These rules may be called as "Madhya Pradesh Pre Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules, 2017" These rules shall be effective from the date of publication in the Gazette of Madhya Pradesh.

2.0 DEFINITIONS:- In these rules, until the context otherwise, requires,

2.1 "Board" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB)/VYAPAM;

2.2 "College" means a Government (Autonomous) /private college of Ayurved , Homoeopathy, Unani, Naturopathy &Yoga under the Government of Madhya Pradesh.

2.3 "Examination" means the Entrance Examination conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB / VYAPAM);

2.4 "State Government" means Government of Madhya Pradesh;

2.5 "Category" means Scheduled Tribe (ST), Scheduled Caste (SC), Other Backward Classes (OBC) and Unreserved (UR) category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;

2.6 "Class" means Military Personnel (S), Freedom Fighter (FF), Female (F) and No Class (X) as specified and laid down by Government of Madhya Pradesh. Physically Handicapped (H) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India vocational rehabilitation Centre for Physically Handicapped.

2.7 "Rules" means Madhya Pradesh Pre Ayurved , Homoeopathy, Unani, Naturopathy &Yoga Undergraduate Examination Rules, 2017.

2.8 CCIM means Central Council of Indian Medicine.

2.9 CCH means Central Council of Homoeopathy.

2.10 candidate means those are interested to admission in above courses.

2.11 student means those are admitted in above courses after admission

3.0 GENERAL:-

(i) Undergraduate Courses BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery), BHMS (Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery), BUMS (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) and BNYS (Bachelor of Naturopathy & Yogic Science) shall be governed and regulated by CCIM (Central Council of Indian System of Medicine) / CCH (Central Council of Homoeopathy) / M.P. Medical Science University and State Government / Government of India and entrance examination and allotment shall be Governed and regulated by the rules and regulations in force at the time of admission and amendment made in these rules/regulations from time to time .

(ii) These rules shall apply to all candidates for entrance, allotment and admission in the following courses and colleges (table - 1.)

1. BAMS Course in Govt (Autonomous) Ayurved Colleges, Bhopal, Burhanpur, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa and Ujjain.

2. BHMS Course in Government (Autonomous) Homoeopathy College, Bhopal.

3. BUMS Course in Govt (Autonomous) Unani College, Bhopal.

4. BAMS Course in Ayurved Colleges running in the State of M.P. in Private Sector

5. BHMS Course in Homoeopathy Colleges running in the State of M.P. in Private sector

6. BUMS Course in Unani Colleges running in the State of M.P. in Private Sector

7. BNYS Course in Naturopathy Colleges running in the State of M.P. in Private Sector.

3.1 (1) Before filling up the Online application form, the candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and then fill up complete, correct and requisite information and must enclose requisite documents, failing which applicant shall not be eligible for entrance examination, allotment and admission.

(2) The candidate must bring the same colour photograph at the place of scrutiny and at the time of admission in the allotted institution which he/she has attached in form i.e. Online application form which has been sent to Board.

(3) The size of photograph should be 4.5 cm breadth and 4.5 cm length. Adequate number of photographs should be kept (approximately 30 numbers) in respect of time to time requirement. The following instruction should be followed strictly regarding photograph:-

a) For document verification Before pasting the photograph on application form the candidate shall write his/her name, application number and merit number behind the photograph with black ball point pen only at the backside of photograph. The self attested latest good quality colour studio photograph of the candidate with white background, which has to be used at the time of MP PAHUNT Undergraduate Entrance Examination 2017 and in the process of counselling, should be pasted at the specified place of application form. The photograph should not be older than three months from the date of filling of entrance examination form and should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph. The photograph should be without cap and goggles.

b) Regular users of eye glasses are allowed. Polarized and computer printed photograph are not acceptable. Photograph should be pasted nicely on the specified space of application form with gum/adhesive and not to be attached with pin / stapled. If these instructions are not followed or an illegible photograph is pasted, the application will not be accepted. The applicant please pay attention that if it is found that pasted photograph was made by candidate and or not of the same size or hand made or prepared by computer then the seat allotment/admission will be rejected and it will be accepted that the candidate had adopted unfair means and the necessary action will be taken against him in accordance to the rules of unfair means.

c) In case any discrepancy in the photographs, the candidate will not be eligible for the allotment of seat and admission should be cancel.

d) At the time of document verification and admission the candidate should furnish correct information. The candidate should sign the same full signature at the time of entrance examination, scrutiny and at the time of admission in the allotted college. If the signature differs, the candidate shall not have any right for allotment of seat/ admission.

e) Candidate must be fill AADHAR Number at the time of filling of admission form.

3.2 If it is found that a candidate has concealed any relevant facts and / or provided incorrect information in the Online application form at the time of allotment of a seat/, scrutiny of the documents or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Principal of the College at any time during his/her studies and also FIR will be lodged.

3.3 In case of any criminal case against a candidate he/ she not entitled for admission.

3.4 Students found guilty of misconduct, indulgence in criminal case, indiscipline and absence of more than one month continuously without information would be liable to disciplinary action including expulsion from the college by the Principal and cancellation of registration by the university.

3.5 The examination shall be held at the Centre fixed by the Board. Centre once allotted shall not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulations of the Board failing which his / her candidature will be cancelled.

4.0 AVAILABILITY OF SEATS:-

The available seats in BAMS / BHMS/ BUMS/BNYS courses are shown college wise in table number 1. The sanctioned seats of Government (Autonomous) and Private Colleges shall be filled in accordance with the reservation policy of the State Government and shall be filled up by selected eligible candidates of PAHUNT 2017 Entrance Examination through Online counselling.

5.0 RESERVATION:-

20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes (other than creamy layer), and remaining seats are available for candidates belonging to Unreserved category in all the colleges. (table 2 and 3)

5.1 **Physically Handicapped** - For Physically Handicapped who are bona fide residents of Madhya Pradesh belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes and Unreserved category, 6% seats are reserved for admission to BAMS, BHMS, BUMS and BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized. It is clarified that candidates having disability of upper limb/limbs or ophthalmic or auditory sense organs or more than 70 % in lower limb shall not be eligible for admission. If there is no availability of candidates having

disability in lower limb from 50 to 70 % then candidates having disability in lower limb from 40 to 60% shall be considered eligible for admission. Candidate having complete disability of ophthalmic and auditory sense organs shall not be eligible for admission among the disabled candidates, only on the basis of disability certificate of ophthalmic and auditory sense organs up to 50% will be considered eligible for admission and the candidates having disability in any of the upper limb will not be considered.

The advantage of such reservation will be provided on the basis of medical certificate issued by the notified institution in prescribed proforma. The candidate desirous of taking admission against these seats shall have to produce a medical certificate issued by District Medical Board and eligibility certificate from Superintendent, Ministry of Labour, and Government of India Vocational Rehabilitation Center for Physically Handicapped, Napier Town, Jabalpur in the prescribed proforma. Thus both the certificates have to be produced compulsorily.

5.2 Sainik Category (Military Personnel):- (Proforma – 2, Section – A and B)

For son/daughter of Sainik Category / Military Personnel (S) belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes and UR categories, 3% seats are reserved for admission to BAMS / BHMS / BUMS / BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

- 5.2.1 Seats reserved for son/daughter of the Military Personnel (S) class include Ex-Military Personnel who have served as defence employees, serving defence employees and those defence employees who died during the course of service or who became permanently disabled during service.
- 5.2.2 Candidate claiming admission under Military Personnel class will have to produce a certificate showing that he/she is son/daughter of an Ex-Military Personnel settled in Madhya Pradesh.
- 5.2.3 Ex-Military personnel means a person who fits in the definition of Ex-Military Personnel as per directions issued by Ministry of Defence, Government of India.
- 5.2.4 A candidate claiming admission on account of being a son/daughter of an Ex-Military Personnel will have to produce the certificate of his / her father / mother being an Ex- Military Personnel and a certificate of his / her father / mother having settled in Madhya Pradesh from District Sainik Welfare Officer of the concerned district.

OR

Son / daughter of defence employees who are posted outside Madhya Pradesh and who are bonafide residents of Madhya Pradesh shall have to produce a certificate that his / her father / mother is a bonafide resident of Madhya Pradesh.

OR

Son/daughter of defence employees who are posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance Examination will have to produce a certificate that he / she is a son / daughter of such an employee.

Note: In case of any dispute regarding the eligibility of a candidate belonging to the Military Personnel, the decision of Director, Sainik Welfare, Madhya Pradesh shall be final and binding.

5.3 Freedom Fighter (FF):- (Proforma – 3)

For sons /daughters or grandsons/granddaughters of Freedom Fighters (FF) who are bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to SC, ST, OBC and UR categories, 3% seats are reserved for admission to BAMS/BHMS/ BUMS/BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.3.1 Freedom Fighter (FF) is a person whose name is registered in the list kept in the Collectorate of the concerned district of Madhya Pradesh.

5.3.2 Candidate applying for admission under Freedom Fighter (FF) class shall have to produce certificate in this regard from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh. No other documents shall be considered as a valid certificate belonging to Freedom Fighter (FF) class.

5.4 Female:- 30% seats for admission to BAMS/BUMS/BHMS/BNYS courses are reserved for Female candidates in each category of SC/ST/OBC and UR. This reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.5 A candidate can apply for only one reserved class under his/her category. The reserved category candidates must produce a permanent caste certificate issued by competent authority of Government of M.P. in the prescribed proforma. He/she will not be eligible if fails to produce permanent caste certificate and for which the responsibility will be of himself/herself. The caste certificate should bear case no., date, designation and seal of the issuing officer otherwise it will not be accepted (Proforma-4 section A and B).

- 5.6 A candidate not willing for admission in any class [S, FF, Ph, F] can apply in open Class (X) of his/her category.
- 5.7 In reference to Government of Madhya Pradesh AYUSH Department Mantralaya order no./F/1-4/2016/1/59 dated 09/03/16 all the seats of the private college Sant Hirdaram Prakritik Chikitsa avam Yog Vigyan Mahila Mahavidhyalaya Bhopal shall be reserved for female candidates.
- 5.8 Conversion of Reserved Seats: In case, the eligible candidates to the extent of reservation in any category are not available, the vacant seats shall be filled up by making them available to candidates of other categories as given below:
- (A) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
 - (B) The vacant seats in SC category shall be filled up eligible ST category candidates.
 - (C) In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
 - (D) In case, the eligible candidates are not available in the above three reserved categories in the above order, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.
- Note - This arrangement will be applied after the merit list of eligible candidates of concerned category has been exhausted, henceforth the conversion of seats will be notified and accordingly in next phase of counselling the allotment shall be made.
- 5.9 If eligible candidates are not available for admission in vacant seats in Military personnel (S), Freedom Fighter (FF), Physically Handicapped (H) and Female (F) classes of a category then such vacant seats shall be made available to OPEN (X) class of the same category. If eligible candidates of Open (X) class of a reserved category are not available for admission to vacant seats of the same category to the extent of reservation, the vacant seats shall be filled up by making them available to candidates of other categories as mentioned in Rule 5.8
- 6.0 ELIGIBILITY :-
- [A] The candidate must be bonafide resident of Madhya Pradesh for admission in Government (Autonomous) Colleges, but to be bonafide resident of M.P. will not be essential for admission in Private Colleges.

[B] For admission in Government (Autonomous) Colleges any one of the following conditions is compulsory-

1. Candidate born in Madhya Pradesh and studied for three years continuously in any educational institution of Madhya Pradesh.

OR

2. The father of candidate living in Madhya Pradesh continuously since not less than 15 years.

OR

3. The father of candidate living in Madhya Pradesh continuously since last 10 years and having immovable property / Industry/ Business in Madhya Pradesh.

OR

4. The father of candidate is a serving employee or retired employee of Government of Madhya Pradesh.

OR

5. The father of candidate is an serving employee or retired employee of a Institution/ Corporation/Board/ Commission under Government of Madhya Pradesh.

OR

6. The father of candidate is an employee of Government of India who is posted in Madhya Pradesh since last 10 years.

OR

7. The father of candidate is an officer of All India services belonging M.P. cadre.

OR

8. The father of candidate is appointed in Madhya Pradesh on Constitutional/legal post by Honorable President of India/Governor of Madhya Pradesh.

Explanation-1:

In reference to letter no. C – 3 – 7 – 2013 – 3- 1 Bhopal dated 25th September 2014 of
Madhya Pradesh General Administrative Department it is must to fulfill the eligibility
norms of being bona fide resident of M.P.

Certificate regarding bona fide resident of M.P. must be issued by the Collector or an
officer authorized by the Collector of the district concerned. The certificate must
show reference number, date of issue, seal and designation of the Issuing Officer.

(Proforma-7)

Explanation-2:

Guardian of a candidate means a person who from the date of the death of candidate's father and mother till the date of submitting application form is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, as decided by the District Collector concerned. Guardian shall necessarily have to produce a certificate stating so from a competent court. If the father of the candidate is not alive and mother is alive then mother only shall be considered as a natural guardian of the candidate, nobody else shall be recognized as a guardian.

Explanation-3:

Regarding M.P. bonafide resident certificate, directive has been issued by General Administration Department Government of M.P. circular no. C/17/1/2011 dated 20.12.11. Accordingly candidates have to produce bonafide resident certificate in the valid Proforma (Proforma 6) after 20.12.11. The valid bonafide resident certificate issued by the competent authority of M.P. before 20.12.11 shall also be accepted.

Explanation-4:

Regarding M.P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Government of M.P. circular no. C- 3 - 7 - 2013 -3 - One dated 25.09.2014. Accordingly candidate can produce Non stamped self attest declaration for bonafide resident in the valid proforma. (Proforma 6.1).

- 6.1 For admission to BAMS /BHMS/ BUMS/BNYS course, only those candidates are eligible who have passed the 12th Exam of 10+2 system (qualifying examination) with Physics, Chemistry and Biology subjects separately and has secured not less than 50% aggregate marks for unreserved category and not less than 40% aggregate marks for reserved category. For admission to BUMS course, only those candidates are eligible who have compulsorily passed Urdu subject in addition to the qualifying exam from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or Tenth Board or equivalent examination in Urdu recognized by Government of M.P./Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal. Candidates of all categories and classes are required to have passed ENGLISH subject in the qualifying examination of 10+2 system

OR

Have passed an equivalent or higher examination with Physics, Chemistry and Biology from any recognized Board or University recognized by Department of

School Education, Government of Madhya Pradesh or Central Secondary Education Board or recognized board by Govt. of India and those unreserved category candidate will be eligible who have passed separately in physics, chemistry and biology with minimum 50 percentage in aggregate and of reserved category will be eligible who have passed separately in physics, chemistry and biology with minimum 40 percentage in aggregate. For foreign nationals seeking admission, their eligibility shall be considered on the basis of equivalent certificate issued to them by the concerned Board/University and approved by the Ministry of External Affairs, Government of India. Candidate of all categories and classes are required to have passed ENGLISH subject in qualifying equivalent examination.

- 6.1.1 The candidate who are having valid equivalent qualification in the entrance examination year recognized by Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal are eligible.

- 6.2.1 No candidate shall be allowed to be admitted in Ayurveda/ Homoeopathy/Unani/ Naturopathy & Yoga Colleges until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31st December of the year of examination. For calculation of age as aforesaid, the date of birth as mentioned in the certificate of High School/Higher Secondary School Certificate Examination or in marksheets of the said examination shall be the authentic documentary proof. The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate, who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad if it is certified by the Department of School Education of Government of Madhya Pradesh as equivalent to Higher Secondary School Certificate Examination in Madhya Pradesh.

- 6.2.2 Upper age limit for the candidates seeking admission shall be 25 years as on 31 December 2017; the year of entrance examination. Further provided that this age limit shall be relaxed by a period of 5 (Five) years for reserved category candidates of MP. Schedule Caste/Schedule Tribes/Other Backward Classes.

Candidate must be born on or between:

- (i) 01-01-1988 to 01-01-2001 (SC/ST/OBC Category)
- (ii) 01-01-1993 to 01-01-2001 (Unreserved Category)

7.0 FEES STRUCTURE:-

Every candidate admitted in Government (Autonomous) Colleges shall have to pay fees as shown in table no. 4 and every candidate admitted in Private Colleges shall have to pay fees as decided by Admission and Fee Regulatory committee/ M.P. Private University Regulatory Commission at the time of reporting.

Note— The benefit of Government schemes of reimbursement of fees and scholarships for the admitted students in Government Autonomous and Private Colleges under the Department of AYUSH may be availed as per the eligibility in accordance with Government rules.

7.1 Security deposit:-

- 7.1.1 After allotment of seat through counselling at the time of reporting in a Government (Autonomous) College. Candidates of unreserved category shall have to deposit Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as security deposit by Cash/ Bank Draft in favour of Principal of the concerned Government (Autonomous) College
- 7.1.2 If the candidate belongs to SC/ST Category whose parents'/ guardians' income does not exceed Rs. 3.00 lacs per annum from all sources, he/she does not require for any such deposit. But if the candidate belongs to SC/ST Category whose parents'/ guardians' income exceeds Rs. 3.00 lacs per annum from all sources, he/she shall have to submit Rs. 4000/- by cash / demand draft in favour of Principal of the concerned Government (Autonomous) college as security deposit.
- 7.1.3 All candidates belonging to OBC category shall have to deposit Rs. 4000/- by cash / demand draft in favour of Principal of the concerned Government (Autonomous) college as security deposit.
- 7.1.4 It is mandatory for all candidates belonging to reserved categories to produce income certificate of current financial year at the time of document verification. Tahsildar/ Ad.Tahsildar/ Nayab Tahsildar have been authorized to issue income certificate in their Jurisdiction vide M.P. Government GAD circular No. C/3-11/1/3/2010 dated 7th September 2010. The Proforma of application and income certificate is enclosed as Proforma 9A and 9B. The income certificate will be accepted if issued only in the prescribed Proforma.
- 7.1.5. Regarding income certificate directive has been issued by General Administration Department Government of M.P. circular no. C-3-7-2013-3-One dated 25.09.2014. Accordingly candidate can also produce self declared income certificate signed by

- his/her father/legal guardian after 1st April 2017 in the valid (Proforma 9-C). In future self declared certificate found wrong the process of cancellation of admission will be conducted.
- 7.1.6 Candidate of OBC category must produce income certificate/self declaration certificate of 2016 – 17 for deciding status of Creamy layer. Creamy layer candidates will not be eligible for reservation. The produced self attested / self declaration income certificate will be examined properly and if anything found wrong the candidate will be punished as per rules.
- 7.2 *Security deposit refund:-*
The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship. In case, a candidate does not join the allotted course or discontinues study in the course or leaves college before completion of internship due to any reason, his/her security deposit shall be forfeited.
- 7.3 *Fee refund:-*
A student admitted in Under Graduate Course through counselling and who submits in writing, for leaving that seat, to his/ her respective college authorities before 10 days of the last counselling shall be entitled for refund of the deposited fee after deducting 10% fee. No Application for such refund will be entertained after the said period , only caution money will be refunded. This will be equally applicable for the candidates taking admission in the state and from out side the state.
- 7.4 *Fee transfer:-* In case of change of seats due to reallocation of seats to the candidate admitted through MP PAHUNT 2017 examination, the fees will be transferred from one institute to another institute.
- 7.5. *Seat leaving Bond:*
If any admitted candidate lefts/resigns from the admitted seat after last round of BAMS/BHMS/BUMS course counselling ,in that case the candidate has to deposit Rs. 2.00 Lac (Rs. Two Lac only) as monetary penalty in the concerned autonomous college.
- 7.6. The Principal of all Government (Autonomous)/ Private AYUSH colleges will be authorized to transfer of students / mutual transfer/transfer during internship against vacant seats as per provision of CCIM/CCH. Principals will be responsible to inform Directorate of AYUSH, the action taken in such cases.

8.0 EXAMINATION:-

The Entrance Examination shall be conducted in ENGLISH AND HINDI languages.

Candidate has to opt any one medium while filling up the application form. And exam will be in that medium.

- 8.1** There shall be one paper (multiple choice) of three hours duration. Paper will contain 200 multiple choice questions in Physics, Chemistry, Zoology and Botany. The paper shall have two parts as following:-

PART	NAME OF SUBJECT	NO. OF QUESTIONS (Multiple choice)	MARKS
A	Physics + Chemistry	(50+50)=100	(50+50)=100
B	Zoology + Botany	(50+50)=100	(50+50)=100
		TOTAL = 200	200

- 8.2** In objective type questions, ONE mark will be awarded for each correct answer. No Marks shall be awarded for an incorrect answer or multiple answers or for unanswered questions. There will be no negative marking.

8.3 DECLARATION OF RESULT:-

The Board shall conduct the examination, evaluate the answer sheets, prepare the merit list and declare the result.

8.4 MERIT LIST:-

A combined merit list shall be declared for the admission in the Government (Autonomous) Ayurveda/ Homoeopathy/Unani colleges of only those candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh and are qualified as per rule 6.1

8.4.1 A Combined Merit list including all candidates of Madhya Pradesh and the candidates from outside the state of Madhya Pradesh, who have qualified as per rule 6.1 and have appeared in PAHUNT shall be declared for the Private Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani/ /Naturopathy Colleges.

Note - Merit list for Government (Autonomous) Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani Colleges of Madhya Pradesh will be prepared category wise, according to merit as per Rule-6.

8.5 INTER – SE – MERIT:-

In case of two or more candidates obtaining equal marks in the entrance examination, the inter-se merit of such candidates shall be determined in order of the following preferences/order :-

1. On the basis of marks obtained in part -B of Question paper i.e. Zoology and Botany.

2. Candidate being older in age.

9.0 COUNSELLING – SEAT ALLOTMENT:-

9.1 The allotment process in a course and college for an eligible candidate will be done through online counselling. The detailed information regarding online counselling will be issued separately.

9.2 Candidate's and father's name should appear same in all the related documents i.e. mark sheet, certificates and other documents. If there is any discrepancy in any documents the same should be corrected before verification for online counselling otherwise if the application form is rejected the candidate himself/herself will be responsible.

9.3 A Candidate admitted to Ayush course on the basis of previous year's PAHUNT examinations, if succeeds in the present examination PAHUNT 2017 shall have to submit all the original documents with completed profarma-1 and 1(a) or photocopies along with a certificate of the Principal of the institution certifying that all these certificates (showing list) are in his custody. On allotment of a seat the candidate shall have to produce all the original documents to the authorities of the allotted college, otherwise his/her admission will be treated as cancelled.

9.4 REGISTRATION:-

The prescribed date of registration will be published in the news papers and will be available on MP Online Portal. Candidate shall have to register on MP online Portal or Kiosk by the payment of Rs.150/- (Rs. One Hundred Fifty Only) for that receipt will be given. (Separate fee for print out of the registration through KIOSK shall not be payable.). Candidate shall have to get his correct information entered. The registration number and the secret password will be given to each and every candidate after registration. Candidates should have to change the same compulsorily at the time of choice filling.

9.5 VERIFICATION:-

The candidate shall have to go to any one of the following centers (help center) for verification (Proforma – 1) of all original documents according to the details given at the time of registration:-

1. Government(Autonomous) Ayurved College, Bhopal

2. Government(Autonomous) Ayurved College, Gwalior
3. Government(Autonomous) Ayurved College, Indore
4. Government(Autonomous) Ayurved College, Jabalpur
5. Government(Autonomous) Ayurved College, Rewa.
6. Government(Autonomous) Ayurved College, Ujjain.
7. Government(Autonomous) Ayurved College, Burhanpur.
8. Government(Autonomous) Homoeopathic College, Bhopal
9. Government(Autonomous) Unani College, Bhopal.

9.5.1 If there is any error or deficiency in the information given by a candidate at the time of registration, except the information furnished while applying to VYAPAM, the same can be get rectified at verification centre.

9.5.2 Document verification fee:-

For verification candidates have not to pay any fee for verification of Documents at verification center. Verification will be free of Cost.

9.6 SELECTION OF INSTITUTION –

Candidate has to select option of Course/Institution in order, according to his/her preference at MP online Portal or Kiosk for that the prescribed fee of Rs. 250/- (Rs. Two Hundred Fifty Only) shall be payable to MP online Portal or Kiosk (Separate fee for print out of the choice filling through KIOSK shall not be paid) The receipt of the fee paid will be given to the candidate in which the list of institutions selected by the candidate will be shown. After first time choice filling the next will be charged Rs. 100/- (Rupees Hundred Only)

9.7 ALLOTMENT –

Candidate may receive the allotment letter on the prescribed allotment date after entering the PAHUNT roll number, date of birth and changed password at the time of choice filling on MP online portal or Kiosk.

9.8 M.P Online will declare seat allotment as per provisions available in this rule after getting approval from the following Counselling Committee:-

1. Principal Government (Autonomous) Homoeopathy College Bhopal.
2. Principal Government (Autonomous) Ayurved College Bhopal.
3. Principal Government (Autonomous) Unani College Bhopal.
4. 01 Senior Professor from each Government (Autonomous) Ayurved, Homoeopathy and Unani College Bhopal nominated by Principal.

5. Representative of reserved category not below class-I nominated by Directorate of AYUSH.
 6. In – charge Officer of College Section Of Directorate AYUSH.
 7. An authorized officer / secretary of M.P online
- 9.8.1 The cut off marks will be published by M.P Online after every stage of counselling.
- 9.8.2 For any query the candidates will contact on the following telephone numbers or on websites:-

0755 – 4019400 , 0755 – 2552931, 2970355, 2970310, 2970360

(Office time 10.30 a.m to 05.30 p.m)

[www.ayush. mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in), www.mponline.gov.in.

9.9 REPORTING –

Candidate shall have to report to the allotted college after allotment of institution and shall ensure his/her admission by entering PAHUNT roll number and password.

10.0 ADMISSION –

After candidate's allotment for a course and a College through Counselling, he /she shall report to the Principal of the College concerned on the notified date and time.

- 10.1 The Admission Committee of the College consisting of two senior teachers and at least two teachers belonging to reserved category shall verify the original documents of candidates and if found eligible, shall recommend admission of the candidate to the Principal.
- 10.2 After admission, the original documents will be returned to the candidates after verification from issuing authority.
- 10.3 if a candidate does not present till the notified date or left after joining or remains absent for a continuous period of 15 days without prior intimation to the Head of the Institution his/her claim shall be forfeited and allotment /admission given shall be deemed to have been cancelled.
- 10.4 The candidates shall have to undergo EXAMINATION FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if found medically fit.

11.0 SCHEDULES FOR ADMISSION PROCESS-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. First counselling | - Dates will be published after declaration of result. |
| 2. Commencement of Academic Session | - To be declared later |
| 3. pursuant Counselling (if required) | - To be declared later |

4. Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason. - As per directions issued by CCIM / CCH, Govt. of India , AYUSH Mantralaya, New Delhi

Remarks:-

1. As given in Rule No. 11 a detailed programme of the online counselling will be advertised in leading newspapers of the state and out side the state. Any change in the programme shall be advertised in the leading news papers besides uploading the same information on the website www.mp.ayush.gov.in
2. Any student identified as having obtained admission after the last date of closing of admission shall be rusticated from the course of study and/or any Ayurved/ Homoeopathy/ Unani/ Naturopathy & Yoga qualification granted to such student shall not be recognized according to the provisions of the acts of CCIM / CCH as the case may be.
- 12.0 In case, the permission of Government of India / State Government to increase the number of seats in any Government or Private Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga college is obtained or permission for admission/ recognition is granted to a college, before counselling or during the counselling the admission in such seats will be given also through counselling.
- 13.0 The vacancy of seats due to any specific condition seats will be allotted by centralised off-line counselling. In centralised off-line counselling for seat allotment candidate should come with yearly fees of college and all original documents also produce positively. the notification of centralised off-line counselling will be notified in news papers and departmental website.
- 14.0 Admission of anyway Accept Govt. admission counselling will not be granted.
- 15.0 **AUTHORITY:-**
In case of any dispute related to admission of a candidate, the Commissioner/Director, AYUSH, Madhya Pradesh shall be competent to redress such dispute, his decision shall be final.
- 16.0 **AMENDMENT IN RULES:-**
The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission to the courses. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments therein, the decision of the State Government shall be final and binding to all concerned.
- 17.0 The State Government reserves the right to amend any rule and procedure. it will be notified in website of directorate ayush, it will not published separately. The candidates are advised to see the department website www.ayush.mp.gov.in regularly.
- 18.0 In case of any dispute the hindi version published in the Madhya pradesh Gazzette will be accepted.

By order and in the name of Governor of the Madhya Pradesh,

P. R. KATROLIA, Dy. Secy.

TABLE-1

पाहुट प्रवेश प्रक्रिया में सम्मालित महाविद्यालयों की सूची (नियम-4.0)

स.क्र.	क्र.	नाम महाविद्यालय	स्वीकृत सीट संख्या
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय			
1.	1.	पंथुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल	60
2.	2.	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	60
3.	3.	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर	60
4.	4.	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर	40
5.	5.	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा	60
6.	6.	शासकीय स्वशासी धन्वतंरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन	60
शासकीय आयुर्वेद सीट संख्या— 340			
निजी आयुर्वेद महाविद्यालय			
7.	1.	डॉशिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय रत्लाम	100
8.	2.	रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	100
9.	3.	वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	50
10.	4.	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर	60
11.	5.	मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजूकेशन, मंदसौर	50
12.	6.	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	50
13.	7.	मनसरोवर आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	100
निजी आयुर्वेद सीट संख्या — 510			
आयुर्वेद पद्धति की कुल सीटें — 850			
शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय			
14.	1.	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	100
शासकीय होम्योपैथी सीट संख्या — 100			

निजी होम्योपैथी महाविद्यालय			
15.	1	हेनीमन होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	100
16.	2	एल.बी.एस. होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	100
17.	3	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	100
18.	4	स्वामी प्रणवाननद होम्योपैथी महाविद्यालय छतरपुर	50
19.	5	गुजराती समाज होम्योपैथी महाविद्यालय इंदौर	100
20.	6	डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी महाविद्यालय रत्लाम	100
21.	7	शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	100
22.	8	आर.के.डी.एफ. होम्योपैथी महाविद्यालय मंडीदीप भोपाल	100
23.	9	इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय धार	100
24.	10	सेंधवा होम्योपैथी महाविद्यालय सेंधवा, बड़वानी	100
25.	11	अनुश्री होम्योपैथी महाविद्यालय जबलपुर	100
26.	12	सोफिया होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर	100
27.	13	महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय जबलपुर	100
28.	14	एस.एम.देव होम्योपैथी महाविद्यालय बालाघाट	50
29.	15	सागर होम्योपैथी महाविद्यालय सागर	50
30.	16	रामनाथ सिंह होम्योपैथी महाविद्यालय भिण्ड	85
31.	17	अरिहन्त होम्योपैथी महाविद्यालय सेंधवा	50
32.	18	वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर	100
33.	19.	के. एस. होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर	60
34.	20.	रामकृष्ण कालेज ऑफ होम्योपैथी एण्ड मेडिकल साइंसेस भोपाल।	100
35.	21.	स्कूल ऑफ होम्योपैथी श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस सिहोर	100
36.	22.	शीतला सहाय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर	100

निजी होम्योपैथी सीट संख्या-			1945
होम्योपैथी पद्धति की कुल सीट संख्या -			2045
शासकीय यूनानी महाविद्यालय			
37.	1.	हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल	60
शासकीय यूनानी सीट संख्या -			60
निजी यूनानी महाविद्यालय			
	1.	सेफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, बुरहानपुर	50
39.	2.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय देवास	60
40.	3.	अल फारुख यूनानी महाविद्यालय इंदौर	50
		निजी यूनानी सीट संख्या	160
यूनानी पद्धति की कुल सीट संख्या -			220
प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा महाविद्यालय			
41.	1.	संत हिरदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय, बैरागढ़, भोपाल	70
42.	2.	प्रिया पीताम्बरा प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय, दतिया	50
निजी प्राकृतिक एवं योग सीट संख्या -			120
चारों पद्धति की कुल सीट संख्या -			3235

नोट:-

- नियम पुस्तिका में महाविद्यालय का नाम व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट संख्या का उल्लेख महाविद्यालय की मान्यता एवं उसी सीट्स पर प्रवेश उपलब्ध होने का घोतक नहीं है।
- प्रदेश में संचालित शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी / प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद / केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद / भारत सरकार की मान्यता व राज्यशासन की अनुमति तथा तत्संबंधी आदेशों तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की सम्बूद्धता पर निर्भर होगी।
- महाविद्यालयों के नाम की सूची व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट्स संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

GOVERNMENT AUTONOMOUS AYUSH COLLEGES

TABLE-2

Category and Class Wise Quota Distribution Chart

(RULE -5)

S. No.	College Name	BIMSTEC Quota	UR	SC												ST						OBC						TOTAL		
				X				4				5				6				7				X				TOTAL		
				OP	F	S	F	OP	F	S	F	OP	F	S	F	OP	F	S	F	P	X	OP	F	S	F	P	X	OP	F	H
GOVERNMENT AYURVEDIC COLLEGES																														
1	BHOPAL	17	9	1	2	30	6	3	0	0	9	6	4	0	1	12	5	3	0	1	0	9	60							
2	GWAIOR	5	17	8	1	1	28	5	3	0	0	1	9	6	3	1	0	1	11	5	3	0	0	0	8	55+5				
3	INDORE	17	9	1	1	2	30	5	3	1	1	0	10	7	4	0	0	1	12	5	2	0	0	1	8	60				
4	JABALPUR	13	6	0	0	1	20	4	1	0	0	1	6	5	2	0	1	0	0	3	2	0	0	1	6	40				
5	REWA	17	9	1	1	2	30	5	3	1	0	1	10	7	4	1	0	0	12	5	2	0	0	1	8	60				
6	UJJAIN	17	9	1	1	2	30	5	3	0	1	0	9	7	4	0	0	1	12	5	2	1	0	0	8	60				
	S. TOTAL	98	50	5	5	10	168	30	16	2	3	53	38	21	2	2	4	67	28	14	1	3	47	335+5	=340					
	Government Homeopathy College Bhopal	30	15	1	3	50	10	5	0	0	1	16	11	6	1	1	20	9	4	0	1	14	100							
	S. TOTAL	30	15	1	3	50	10	5	0	0	1	16	11	6	1	1	20	9	4	0	1	14	100							
1	Govt. Unani College Bhopal	17	9	1	1	2	30	6	3	0	0	1	10	7	4	0	0	1	12	5	3	0	0	0	8	60				
	S. TOTAL	17	9	1	1	2	30	6	3	0	0	1	10	7	4	0	0	1	12	5	3	0	0	8	60					

नोट :- सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत

X = बिना वर्ग

UR = अनारक्षित

ST = सेनिक

FF = अनुसूचित जनजाति

PH = दिव्यांग

SC = महिला

F = स्थात्रता संघ्राम सेनानी

OBC = अनुसूचित जाति

SC = अनुसूचित जाति

OBC = अनुप्रिष्ठा वर्ग

PRIVATE AYUSH COLLEGES
Category and Class Wise Quota Distribution Chart

(RULE -5)

S. No.	College Name	UR			SC			ST			OBC			TOTAL														
		X	OP	F	S	FF	P.	H	Total	OP	F	S	F	H	Total	OP	F	S	F	H	Total							
1	2	3													6					7								
1	PRIVATE COLLEGES	AYURVEDIC	OP	F	S	FF	P.	H	Total	OP	F	S	F	H	Total	OP	F	S	F	H	Total							
1	Rani dulaivya Ayurved Mahavidhya laya Bhopal	Smriti	29	15	1	2	3		50	9	5	0	1	1	16	11	6	1	1	20	7	4	1	1	14	100		
2	Veenा: Veena's Mahavidhya laya Bhopal	Ayurved	15	7	1	1	1		25	5	2	0	0	1	8	6	3	0	0	1	10	3	2	0	1	7	50	
3	Rajeev Gandhi Mahavidhya laya Bhopal	Ayurved	14	7	1	1	2		25	5	2	0	0	1	8	6	3	0	0	1	10	4	2	1	0	0	7	50
4	Shubhadeep Shubhadeep Mahavidhya laya Indore	Ayurved	17	9	1	1	2		30	7	3	0	0	0	10	7	4	0	0	1	12	4	3	0	0	1	8	60
5	Pt. Shiv shakti Ayurved mahavidhya la Ratiam	Ayurved	29	16	1	1	3		50	9	5	1	0	1	16	11	6	1	1	20	10	4	0	0	0	4	100	
6	Mandsour Institute Of Ayurved and Research Mandsour	Institute Of Ayurved and Research	15	7	1	1	1		25	6	2	0	0	0	8	7	3	0	0	0	10	5	2	0	0	0	7	50
7	Mansarovar Ayurveda College, Bhopal	Ayurveda	29	15	2	1	3		50	8	5	1	1	1	16	11	6	1	1	20	9	4	0	0	1	14	100	
	Total		148	76	8	8	15	255	49	24	2	2	5	82	59	31	3	3	6	102	42	21	2	4	71	510		

नोट :- सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत

विना वर्त
सेनिक

UR
ST

F
FF
PH

SC
OBC

अनारक्षित जाति
अनुसृचित जनजाति
दिव्यांग

अहिला
स्वतंत्रता संघाम सेनानी

SC =
OBC =

PRIVATE AYUSH COLLEGES
Category and Class Wise Quota Distribution Chart Homeopathy Colleges

S. No	College Name	UR		SC		ST		OBC		Total																
		X	F	O	F	S	F	P	Total	X	O	F	S	F	P	Total										
1	2	3	4	5	6	7																				
1	PRIVATE HOMEOPATHY COLLEGES	X	F	O	F	S	F	P	Total	X	O	F	S	F	P	Total										
1	Hahnemann Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	29	15	2	1	3	50	8	5	1	0	2	16	13	6	0	1	20	8	5	0	0	1	14	100	
2	L.B.S. Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	30	15	1	1	3	50	9	5	0	1	1	16	10	6	1	2	20	8	4	0	1	1	14	100	
3	Narayan Shree Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	29	15	1	2	3	50	10	5	0	0	1	16	12	6	1	0	1	20	8	4	1	0	1	14	100
4	Swami Pravananand Homeopathy Mahavidyalaya Chatarpur Samaj	13	7	2	1	2	25	5	2	1	0	0	8	6	3	0	0	1	10	5	2	0	0	0	7	50
5	Gujrati Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	30	15	1	1	3	50	9	5	0	1	1	16	11	6	1	1	20	8	4	0	1	1	14	100	
6	District Homeopathy Mahavidyalaya Ratlam	29	15	1	2	3	50	10	5	0	0	1	16	12	6	1	0	1	20	8	4	1	0	1	14	100
7	Shivang Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	30	15	1	1	3	50	9	5	1	0	1	16	11	6	1	1	20	9	4	0	0	1	14	100	
8	R.K.D.F. Homeopathy Mahavidyalaya Bhopal	29	15	2	1	3	50	9	5	0	1	1	16	12	6	0	1	1	20	7	5	0	1	1	14	100
9	Indira Homeopathy Mahavidyalaya Dhar Gandhi	29	15	1	2	3	50	10	5	0	0	1	16	11	6	1	1	20	8	4	1	0	1	14	100	
10	Sendhya Homeopathy Mahavidyalaya Sonthwa, Badwani	30	15	1	1	3	50	8	5	1	1	1	16	11	6	1	1	20	9	4	0	0	1	14	100	

S.No.	College Name	UR	SC						ST						OBC						Total					
			X			OP			X			OP			X			OP								
			S	FF	PH	OP	F	Total	S	FF	PH	OP	F	Total	S	FF	PH	OP	F	S	FF	Total				
1	2	3	X			OP			X			OP			X			OP					7			
	PRIVATE HOMEOPATHY COLLEGES																						Grand Total			
11	Anushree Homeopathy Mahavidyalaya Jabalpur	29	15	2	1	3	50	9	5	0	1	1	16	12	6	0	1	1	20	8	4	0	1	14	100	
12	Sofiya Homeopathy Mahavidyalaya Gwalior	29	15	1	2	3	50	9	5	1	0	1	16	12	6	1	0	1	20	8	4	1	0	1	14	100
13	Mahatma Gandhi Homeopathy Mahavidyalaya Jabalpur	30	15	1	1	3	50	9	5	0	1	1	16	11	6	1	1	1	20	9	4	0	0	1	14	100
14	S.M. Dev Homeopathy Mahavidyalaya Balaghat	13	7	1	2	2	25	4	2	1	1	0	8	6	3	0	0	1	10	5	2	0	0	0	7	50
15	Sagar Homeopathy Mahavidyalaya Sajjar Singh	14	7	2	1	1	25	7	1	0	0	0	8	6	3	0	0	1	10	4	2	0	1	0	7	50
16	Ramnath Homeopathy Mahavidyalaya Bhind	25	13	1	1	2	42	8	4	1	0	1	14	10	5	0	1	1	17	8	4	0	0	0	12	85
17	Arihan Homeopathy Mahavidyalaya Sendhava	14	8	1	1	1	25	5	2	0	1	0	8	6	3	0	0	1	10	5	2	0	0	0	7	50
18	Vasundhra Raje Homeopathy Mahavidyalaya Gwalior	29	15	1	2	3	50	10	5	0	0	1	16	11	6	1	1	1	20	7	5	1	0	1	14	100
19	K.S. Homeopathy Mahavidyalaya Gwalior	16	9	2	1	2	30	6	2	1	0	1	10	7	4	0	0	1	12	4	3	0	1	0	8	60

20	Ram Krishna College of Homoeopathy and Medical Sciences Bhopal	30	15	1	1	3	50	9	5	1	0	1	16	11	6	1	1	20	8	4	1	0	1	14	100	
21	School of Homoeopathy Sri Saty Sai University of Technology and Medical Science, Sehore	29	15	1	2	3	50	9	5	0	1	1	16	13	6	0	0	1	20	7	4	1	1	1	14	100
22	Sheetla Sahai Homoeopathy Medical College, Gwalior	29	15	2	1	3	50	10	5	0	0	1	16	11	6	1	1	20	7	4	1	1	1	14	100	
	Total	565	291	29	29	58	972	182	93	9	9	19	312	225	117	12	12	23	389	158	82	8	8	16	272	1945

सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

नोट	—	SC	=	अनुसूचित जाति
संकेत	X	UR	=	अनारक्षित
	S	ST	=	अनुसूचित जनजाति
	PH		=	दिव्यांग

संकेत	X	बिना वर्ग	UR	=	अनारक्षित	F	=	FF
	S	सेनिक	ST	=	अनुसूचित सेनानी		=	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
	PH							अनुसूचित जनजाति
								अन्य पिछड़ा वर्ग

PRIVATE AYUSH COLLEGES
Category and Class Wise Quota Distribution Chart Unani Colleges

S. No.	College Name	UR	SC						ST						OBC						Total						
			X	OP	F	S	F	PH	Total	X	OP	F	S	F	H	Total	X	OP	F	S	F	H					
1	2	3								4						5						6					
			X	OP	F	S	F	PH	Total	X	OP	F	S	F	H	Total	X	OP	F	S	F	H					
	PRIVATE COLLEGES	UNANI COLLEGES																					7				
1	Saifiya Tibbiya Mahavidyalaya Burhanpur	Hamidia Tibbiya	14	7	0	1	2	25	5	2	0	0	1	8	5	3	1	0	1	10	4	2	1	0	7	50	
2	Al Farukhi Unani Mahavidyalaya Indore	Unani Mahavidyalaya	14	8	1	1	1	25	4	3	0	1	0	8	7	3	0	0	0	10	4	2	0	1	0	7	50
3	Hakim Hamid Mahavidyalaya Dewas	Abdul Hamid	17	9	1	1	2	30	5	3	1	0	1	10	6	4	0	1	1	12	4	3	0	0	1	8	60
	TOTAL		45	24	2	3	5	80	14	8	1	1	2	26	18	10	1	1	2	32	12	7	1	1	22	160	

नोट:- सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत
X = बिना वर्ग
UR = अनारक्षित
F = अनुसूचित जनजाति
FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग
PH = दिव्यांग
SC = महिला
= अनुसूचित जाति S = सैनिक

Private Ayush Colleges
Category and Class Wise Quota Distribution Chart Prakrati Chikitsa Avum Yoga (Mahila) College

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मई 2017

500 (43)

S.No.	College Name	UR (F)				SC (F)				ST (F)				OBC (F)				Grand Total			
		OP	S	FF	PH	Total	OP	S	FF	PH	Total	OP	S	FF	PH	Total	OP	S	FF	PH	Total
1.	Sant Hirdaram Prakrati Chikitsa avum Yoga Mahila Mahavidyalaya Bairagarh Bhopal	31	1	2	35	10	0	0	1	11	13	0	0	1	14	9	0	0	1	10	70
	Total	31	1	2	32	10	0	0	1	11	13	0	0	1	14	9	0	0	1	10	70

नोट :- 1 उक्त महाविद्यालय की समस्त जीड़े महिला अधिकारियों हेतु आरक्षित है।
2 सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत
X = बिना वर्ग
S = सेनिक
PH = दिव्यांग
UR = अनारक्षित
ST = अनुसूचित जनजाति
F = महिला
FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
SC = अनुसूचित जाति
OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग

**Private Ayush Colleges
Category and Class Wise Quota Distribution Chart Prakratik Chikitsa Avum Yoga College**

S. N O.	College Name	UR	SC			ST			OBC			Grand Total													
			X	OP	F	S	F	PH	Total	OP	F	S	PH	Total											
1	PRIVATE PRAKRATIK EVUM YOGA COLLEGES	3								X	OP	F	S	PH											
2	Priya Peetambra Prakratik Chikitsa Avum Yoga Mahavidyalaya Datia	13	8	1	1	2	25	6	2	0	0	8	6	3	0	0	1	10	5	2	0	0	0	7	50
	TOTAL	13	8	1	1	2	25	6	2	0	0	8	6	3	0	0	1	10	5	2	0	0	0	7	50

नोट :- सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत
X = बिना वर्ग
S = सेनिक
PH = दिव्यांग

अनारक्षित जनजाति
ST = अनुसूचित जनजाति

महिला
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

अनुसूचित जाति
OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग

SC =
OBC =

Table - 41 – शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों की फीस

क्र.	फीस का मद	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथी	अन्य विवरण
1.	शिक्षण शुल्क	40000.00	35000.00	35000.00	प्रतिवर्ष
2.	स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)	1500.00	2500.00	1000.00	प्रतिवर्ष
3.	सुरक्षा निधि	10000.00	10000.00	7500.00	प्रवेश के समय एक बार
4.	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	4000.00	3000.00	3000.00	प्रवेश के समय एक बार
5.	छात्रावास सुरक्षा निधि	5000.00	10000.00	—	प्रवेश के समय एक बार
6.	छात्रावास निवास शुल्क	12000.00	20000.00	—	प्रतिवर्ष
7.	प्रतिभूति निक्षेप	देखे नियम – 7.1			

नोट- उक्त फीस संरचना प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी। साथ ही महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे।

2 – निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस

म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (www.mpnvva.in) के निर्धारण अनुसार देय होगी।

प्रारूप-1

नियम-9.5

**प्रमाण पत्र, अभिलेखों की अभिलेख सत्यापन, कॉउसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश पाहुन्ट प्रवेश परीक्षा नियम भलीभांति पढ़क समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग, मैं भाग ले रहा/रह हूँ।

कॉउसिलिंग, मैं भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मृ प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथ असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दि जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बि किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. पाहुन्ट परीक्षा 2017 का रोल नं.
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक
3. पाहुन्ट परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :.....
6. पता :.....
ठेली./ मो. नं.....
- 6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) :.....
- 6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी/विकलांग/महिला/ओपन) :
7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें।
 1. पाहुन्ट परीक्षा की मूल अंकसूची।
 2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची।
 3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र।

Book No.

Disp. No.

Date

Place

Issuing Authority

4. जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची । DD MM YYYY

5. चरित्र प्रमाणपत्र ।

6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गैप सर्टिफिकेट ।

7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority
-----	--------------	-------	-------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.

9. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में । ()

10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम

अभिलेख सत्यापन (सूक्ष्म जांच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1-10) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के ~~01 सेप्टेम्बर~~ रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति

(नाम पदनाम हस्ताक्षर, (दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों से कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति

(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

प्रारूप-1-अशपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी
 आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वा
 आनलाइन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों
 पालन करूँगा/करूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक.....

दिनांक.....

नाम.....

नाम.....

पूरा पता.....

पूरा पता.....

2. गवाह के हस्ताक्षर

टेलिफान./मोबाइल नं.....

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप-2

नियम-5.2

मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एस) हेतु प्रमाण पत्र
भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

दिनांक

संदर्भ क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा

संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)

.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के

पिता/माता हैं ।

अ— थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे

पद पर थे/थी, उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

ब— उन्होंने थल सेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक.....

..... के अधीन सेवा की है, सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी
मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-2

नियम-5.2

भाग (ब)

मध्यप्रदेश में / मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

दिनांक.....

संदर्भ क्रमांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती जो व्यावसायिक परीक्षा
 मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम
 का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/ कुमारी
 के पिता/माता हैं ।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....
 के अधीन

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है । वे इस
 इकाई में दिनांक से सेवारत हैं ।

अथवा

ब- वे थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....
 के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ
 है ।

हस्ताक्षर : ऑफिसर कमांडिंग.....
 (कार्यालय सील)

स्थान

दिनांक.....

प्रारूप-2 भाग(स)**नियम-5.2**

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने
संबंधी प्रमाण-पत्र**

दिनांक.....

संदर्भ क्रमांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
 श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम) जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा
 संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, वे (स्थान)
 तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3

नियम-5.3

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

श्री

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार
 (पिता) एवं श्रीमती (माता)
 के पुत्र/पुत्री है। श्री/श्रीमती
 संग्राम सेनानी श्री
 पुत्र/पुत्री है।
- 2- श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के
 जिला (जिला का नाम) में संधारित, डंपदजंपदमकद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी
 (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान :

हस्ताक्षर : कलेक्टर

दिनांक.....

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

प्रारूप-4 भाग (अ)

नियम-5.5

स्थायी अनुसूचित / जनजाति अनुसूचित जातिप्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग

जिला

मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

स्थाई जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति कानाम..... निवासी ग्राम..... नगर.....

वि.ख.

तहसील

जिला

संभाग

अनुसूचित जनजाति/जाति का/की सदस्य हैं और इस अनुसूचित जनजाति/जाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जनजाति/जाति का/की है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिटी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप-संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/उपखंड अधिकारी।

नोट:- यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जाँच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात। जारी किया जावें, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप—4 भाग(ब)**नियम—5.5**

न.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ।

स्थाई जाति प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (परीक्षार्थी का नाम)आत्मज
 श्री.....निवासी/ ग्राम.....जिला/संभाग.....मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो.....
जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ—8—5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री.....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के कॉलम—3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ—7—16/2000/1/आप्र दिनांक 6 जुलाई, 2003 की अनुसूची अनुक्रमांक—6 आय/सम्पत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कॉलम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
 पदनाम (सील)

प्रारूप-5

नियम-6

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप
प्रति,

नायब तहसीलदार
/ तहसीलदार तहसील.....

जिला.....
.....

विषय:- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है। मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है। यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

- 1— मेरा नाम
- 2— पिता/पति का नाम
- 3— जन्मतिथि

.....
4— निवास का पूरा पता : सकान नं० मोहल्ला.....

ग्राम/शहर का नाम.....

तहसील..... जिला.....

* 5— मेरी पत्नी का विवरण : नाम..... आयु..... वर्ष.....

* 6— मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण : (1)नाम..... पुत्र/पुत्री, आयु..... वर्ष.....

: (2)नाम..... पुत्र/पुत्री, आयु..... वर्ष.....

: (3)नाम..... पुत्र/पुत्री, आयु..... वर्ष.....

संलग्नः— शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड सहिता (आई०पी०सी०) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर—

आवेदक	का	नाम
(-----)		

* लागू न होने की स्थिति में काट-दें/वर्णित न करें

— कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील..... जिला.....


..... पावड़ी

श्री/श्रीमती..... के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक.....
को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्रारूप-6
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

शपथ-पत्र



मैं आत्मज / पति श्री
आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि -

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूं ।

2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है ।

3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री - (1)श्री / कु0 आयु(लगभग) वर्ष

(2)श्री / कु0 आयु(लगभग) वर्ष

(3)श्री / कु0 आयु(लगभग) वर्ष

4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20.12.2011 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं..... मोहल्ला ग्राम तहसील ग्राम/शहर.
जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूं । मैंने संस्था
तहसील जिला में वर्ष से वर्ष तक शिक्षा

प्राप्त की है ।

(2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में विगत 15 वर्ष से

निवासरत हूं ।

(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला

में निरंतर निवासरत हूं और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं0.....
रकवा मू-खण्ड/मकान है । मैं उद्योग/व्यवसाय करता हूं । मेरा टिन नम्बर/पेन नंबर

है ।

(4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम का कार्यालय का नाम
विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं।

- (5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयाग म
पद पर/से कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं ।
- (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए है उसका पूर्ण विवरण दें)
- (6) मैं केंद्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय
तहसील ज़िला के पद पर वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूं ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
- (7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष) अधिकारी हूं । पद पर
कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम)
- (8) मैं मध्यप्रदेश में संवेधानिक/विधिक पद (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा
नियुक्त हूं ।
(पूर्ण विवरण दिया जाए)

हस्ताक्षर

शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री आयु वर्ष निवासी.
सत्यापन करता/करती हूं कि शपथपत्र की कठिका लगायत मैं उल्लेखित जानकारी मेरे निजी
ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अकित किया गया है ।
सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया ।

हस्ताक्षर

शपथग्रहीता

* (जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए)

प्रारूप 6.1

• परिशिष्ट—एक

स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र (अस्टामित कागज पर)

फोटो
स्वप्रमाणित

मैं आत्मज / पति श्री आयु
 लगभग वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-
 1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
 2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं आयु (लगभग) वर्ष है।
 3. मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्री -
 1- श्री / कु आयु (लगभग) वर्ष है।
 2- श्री / कु आयु (लगभग) वर्ष है।
 4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
 1- मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्ला ग्राम
 तहसील जिला में वर्ष में पैदा हुआ / हुई हूँ।
 2- मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम / मोहल्ला शहर तहसील
 जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।)
 3- मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
 विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ / से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
 4- मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था / निगम / मण्डल / आयोग
 में पद पर कार्यालय में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
 (कार्यरत / सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।)
 5- मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर
 कार्यालय तहसील जिला के पद पर 10
 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

6— मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ।
पद पर कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ/से
सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7— मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल
द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8— मैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 05 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन
मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण, संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री आयु
वर्ष, निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका
1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न
कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या
भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त
लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जावे)

प्रारूप-7

नियम-6

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार

टप्पा / तहसील जिला

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहाँ आवेदक का
पासपोर्ट साइंज
का फोटो लगाया
जाए जो प्राधिकृत
अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया
जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु..... पिता/पति
निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश).
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप
दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक की पूर्ति करने के
फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है ।

* 2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक
दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्ती / अवयस्क बच्चे
जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम.....	आयु.....	वर्ष है
(2) आवेदक के अव्यस्क पुत्र / पुत्री (1).....	आयु.....	वर्ष
(2).....	आयु.....	वर्ष
(3).....	आयु.....	वर्ष
(4).....	आयु.....	वर्ष

(4).....
टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तूत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

हॉ तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

* जो लागू हो काट दें ।

* महाविद्यालय पुनरावंटन हेतु

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानाचार्य,

.....
.....
.....

(सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम)

*

विषय :— पाठ्यक्रम में पुर्णावंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत्।

मेरे द्वारा PAHUNT-2017 में उत्तीर्ण होकर प्रवर्ग संवर्ग मेरिट क्र०
..... के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में
अध्ययनरत हूँ।

PAHUNT-2017 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में पाठ्यक्रम से
..... पाठ्यक्रम के लिए पुनरावंटन चाहता / चाहती हूँ। अतः अनापत्ति
प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है। इस बावत भी
पुष्टि करने का कष्ट करें।

*

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता / अभिभावक का नाम

PAHUNT-2017 रोल नं.

कार्यालय प्राचार्य

*

आयुक्त आयुष

मध्यप्रदेश भोपाल।

दिनांक

श्री / कु आत्मज / आत्मजा श्री
इस महाविद्यालय में दृम्छज 2016 की काउन्सिलिंग के आधार पर आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी / योग एवं

प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार हैं—

.....पाठ्यक्रम सेपाठ्यक्रम में
पुर्नावंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील
प्रधानाचार्य/प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय,

प्ररूप-8 (ब)

पाठ्यक्रम में पुनरावंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्राचार्य,

(सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय :- महाविद्यालय पुर्नावंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत।

मेरे द्वारा PAHUNT-2017 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी संवर्ग मेरिट क्र0
के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय
में अध्ययनरत हूँ।

PAHUNT-2017 नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में महाविद्यालय के लिए पुर्नावंटन
चाहता/चाहती हूँ। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। मेरे मूल दस्तावेज
आपके महाविद्यालय में जमा है। इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर
नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य
(महाविद्यालय का नाम)

आयु कृतआयुष

दिनांक.....

मध्यप्रदेश भोपाल।

श्री/कु आत्मज

इस महाविद्यालय में पी.ए.एच.यू.टी. 2017 की काउन्सिलिंग के आधार पर इस संस्था में पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है :-

पुर्ण आवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय.....

प्रारूप 9—अ

आय प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन—पत्र

प्रति,

तहसीलदार / नायब तहसीलदार,

.....
.....
.....

विषय:- आय प्रमाण—पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय / महोदया,

मुझे आय प्रमाण—पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

1— मेरा नाम :—

2— पिता/पति का नाम :—

3— निवास का पूरा पता :—

.....

4— संलग्न शपथ—पत्र अनुसार समस्त

स्त्रोतों से मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय:-

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ—पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ()

('परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं ।)

कार्यालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार टप्पा / तहसील
जिला.....

पावती

श्री / श्रीमती के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक
को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्रारूप—9—ब**कार्यालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार**

टप्पा / तहसील जिला.....

प्र.क्र. / बी—121 / वर्ष दिनांक

आय प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कु. पिता / पति....
निवासी तहसील जिला.....
मध्यप्रदेश, की / के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये (शब्दों
में) है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील जिला सील

प्रारूप 9-स

परिशिष्ट-एक

आय बावत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र

(सादे कागज पर)

मैं आत्मज श्री आयु वर्ष

शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम ग्राम में हेकटेयर / एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे वार्षिक आय रूपये शब्दों में है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये शब्दों में है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य है:-

1..... 2 3.....
4 5.....

(परिवार से आशय पति/पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये शब्दों में है।

7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है / शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र राशि रूपये वार्षिक का प्राप्त किया / दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर


सत्यापन

मैं आत्मज / पति श्री आयु वर्ष,

निवासी सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक मैं उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर



फोटो

सीट लीविंग बॉड

रुपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप

- 1 – मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय
 में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 – मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के
 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में परीक्षा
 नियम 2016 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 – मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 – मैं एतद द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :–
- (1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने
 हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
 - (2) यह कि अंतिम चरण की PAHUNT काउंसलिंग 2017
 में बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय
 (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी
 अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की समावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 02.
 00 लाख (कुल दो लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु
 बाध्य रहूँगी/रहूँगा।
 - (3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे
 वापस किये जावेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :— 1

2

प्रतिमूर्तिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली
 मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :— 1
 2